माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर – 05

क्रमाँकः मु.ऑ./2017/85

दिनाँक : 27/10/17

सूचना

सत्र 2017–18 में संस्था में नियमित अध्यनरत समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राऐं जो पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हों (Gate/Sponsered/TFW के छात्र पात्रता नहीं रखते हैं) अपने आवेदन ऑनलाईन **www.scholarshipportal.mp.nic.in** पर भरकर निम्नलिखित दस्तावेजों को क्रमानुसार संलग्न कर दो प्रतियों में मुख्य ऑफिस में दिनाँक 06.11.2017 तक अपरान्ह 02:00 बजे से साँय 05:00 बजे तक आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र। (प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए)
2. पिछली समस्त अंकसूचियों।
3. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
4. मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
5. पिता–माता के स्व घोषित आय प्रमाण पत्र/ अगर पिता–माता शासकीय सेवा में हों तो संस्था प्रमुख द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र जिसमें जावक क्रमाँक एवं दिनाँक अंकित हो (जो कि माह अगस्त 2017 के बाद में जारी किया गया हो।) अथवा स्व घोषित आय प्रमाण पत्र।
6. स्वयं का आधार कार्ड।
7. प्रवेश स्लिप (प्रथम वर्ष के छात्र) अथवा रजिस्ट्रेशन की रसीद (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ष के छात्र)।
8. वर्तमान सत्र की शिक्षण शुल्क की रसीद।
9. यदि संस्था के छात्रावास में निवास करते हों तो छात्रावास शुल्क की रसीद एवं छात्रावास अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
10. आधार आधारित बैंक पास बुक।

नोट :

- उक्त समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें (मूल प्रति साथ में रखें आवश्यकता पड़ने पर दिखावें)
- आवेदन पत्र में सही जानकारी ही भरें।
- बैंक खाते की जगह अपने बैंक खाते की ही जानकारी भरें।
- सभी दस्तावेजों को स्वयं अभिप्रमाणित करें।
- समस्त दस्तावेजों की एक छायाप्रति स्वयं के पास भी सुरक्षित रखें।

❖ कार्यालय कलेक्टर, जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर के पत्र क्रमाँक/पो.मे.छा/परिपत्र/2014–15/143 ग्वालियर दिनाँक 04.08.2014 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की आय सीमा में संशोधन किया गया है, जो निम्न प्रकार है।

छात्र/छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय के आधर पर संस्था शुल्क एवं छात्रवृत्ति की निम्न प्रकार सुविधा दी जावेगी। :–

वर्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति/जनजाति	शासन से देय सुविधा
रू. 2,50,000/– तक	छात्रवृत्ति एवं संस्था को देय राशि (फीस)
रू. 2,50,001/– से रू. 3,00,000/– तक	केवल आधी फीस (संस्था को देय राशि)
रू. 3,00,000/– से अधिक होने पर	कोई सुविधा नहीं
वर्षिक आय सीमा अन्य पिछड़ा वर्ग	**शासन से देय सुविधा**
रू. 75,000/– तक	छात्रवृत्ति एवं संस्था को देय राशि (फीस)
रू. 75,000 से अधिक होने पर	कोई सुविधा नहीं

27.10.17

(डॉ. आर. के. पण्डित)
निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधीश, जिला ग्वालियर।
2. सहा. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, शारदा विहार, ग्वलियर।
3. सहा. उपायुक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कार्यालय, गोरखी, ग्वालियर।
4. नोडल अधिकारी (अनुसूचित जाति/जनजाति) – प्राचार्य, डॉ. भीमराव अंबेडकर पॉलेटेक्निक विद्यालय, ग्वालियर।
5. समस्त डीन/विभागाध्यक्ष/छात्रावास अधीक्षकों की ओर सूचनार्थ।
6. लेखा शाखा।
7. समस्त सूचना पटल।
8. रजिस्ट्रार कार्यालय।
9. निदेशक कार्यालय।
10. वैब मैनेजर – पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।